अखबार वो जो दिखाता है सच
हिन्दी दैनिक

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024
www.tejyug.com
• गुरुवार, 21 मार्च, 2024
• Thursday, 21 March, 2024
• वर्ष/year : 01 • अंक/issu : 81 • पृष्ठ/page 12 • मूल्य/rate : 3 ₹
हापुड़ से प्रकाशित/ Published From Hapur
UPHIN/2023/51292

पीएम मोदी ने पुतिन के बाद जेलेंस्की को फोन किया

कहा- जंग रोकें, बातचीत करें; रूसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतने की बधाई दी

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके चुनाव जीतने की बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन जंग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने जंग पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। इसके चंद घंटे बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को भी फोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा। फोन कॉल के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा- राष्ट्रपति जेलेंस्की से भारत-यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर अच्छी चर्चा हुई। भारत ने हमेशा से जंग जल्द खत्म करने और शांति का समर्थन किया है। हम हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेंगे।

पुतिन ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए शुभकामनाएं दीं

इससे पहले, पुतिन से बात करने के बाद पीएम मोदी ने कहा था- रूस के राष्ट्रपति को एक बार फिर से चुनाव जीतने की बधाई दी। भारत-रूस के बीच खास दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी है। हम आने वाले सालों में इसे और मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन ने भी पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं दीं। दरअसल, रूस में 15-17 मार्च को राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इसमें पुतिन ने 88प्रतिशत वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इसी के साथ पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनेंगे।

रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे

फरवरी 2024 में रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका के आंकड़ों के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1 लाख 80 हजार और यूक्रेन के 70 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस उसके राज्यों से कब्जा नहीं हटा लेता है वो हमले जारी रखेंगे। जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता।

मोदी ने पुतिन से कहा था- यह युद्ध का युग नहीं है

रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पीएम मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा से आम लोगों की हत्या की निंदा की है और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की बात की।

पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान भारत की अध्यक्षता में G20 के घोषणा पत्र में भी लिखा गया था। पिछले साल अमेरिका दौरे से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन जंग पर बात की थी।

पीएम मोदी बोले- जंग पर हम तटस्थ, शांति के समर्थन में

उन्होंने कहा था- भारत तटस्थ है, लेकिन शांति के समर्थन में है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, न कि जंग से। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। दिसंबर, 2023 में विदेश मंत्री जयशंकर रूस के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान यूक्रेन जंग पर पुतिन ने कहा था- मैंने पीएम मोदी को कई बार स्थिति की जानकारी दी है। मैं जानता हूं कि वे इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। मैं उनके साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं।

हापुड़ **पारा** अपडेट

मैक्सिमम	मिनीमम
22.00°c°c	11.00 °c°c

सूर्यास्त (आज) ›› 17 .10 बजे
सूर्योदय (कल) ›› 06 .25 बजे

जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों में फिर हिमपात की चेतावनी

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को कहा कि कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण गुरुवार दोपहर से कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात शुरू होने का अनुमान है और शाम तक कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में बारिश या हिमपात होगा। आगामी 22 मार्च को कुछ इलाकों में बारिश या हिमपात जारी रह सकता हैं। कश्मीर घाटी में बुधवार को तेज धूप निकली और विभिन्न पार्कों और बगीचों में फूलों के पौधों पर कलियां खिली हुई थीं। अधिकांश जगहों पर रात के तापमान में सुधार हुआ है लेकिन यह सामान्य से नीचे रहा, जबकि पिछले दिन कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य से 5-8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि में यह 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सामूहिक नकल के मामले में अनेक शिक्षक निलंबित

रायगढ़ः छत्तीसगढ़ के बरमकेला में सामूहिक रुप से नकल के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने नौ शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ओपन स्कूल परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्रवाई करते हुए व्याख्याता समेत 9 पर्यवेक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीते 18 मार्च को सारंगढ़ जिले के अंतर्गत एक गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा बारहवीं की ओपन स्कूल की हिंदी की परीक्षा चल रही थी। विद्यालय सामूहिक नकल हो रही थी। इसी दौरान एसडीएम वासु जैन निरीक्षण में पहुंचे और नकल करते पकड़ा। सभी शिक्षकों को निलंबन अवधि के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ में अटैच किया गया है।

बार बार पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में ईडी पर सवाल

किसी को अनंतकाल तक जेल में नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

तेजयुग न्यूज

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को डिफाल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए पूरक आरोप पत्र दाखिल करने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि आरोपियों को बिना मुकदमे के प्रभावी ढंग से जेल में रखने की यह प्रथा शीर्ष अदालत को परेशान करती है। डिफाल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि आप जांच पूरी होने तक (किसी आरोपी को) गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मुकदमा शुरू नहीं होगा।

आप पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकते और फिर वह व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के जेल में है। न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू से कहा, जो ईडी की ओर से पेश हो रहे थे। अदालत ने कहा, इस मामले में, व्यक्ति 18 महीने से सलाखों के पीछे है। यह हमें परेशान कर रहा है। किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम इसमें आपको नोटिस दे रहे हैं। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू होना चाहिए। वर्तमान कानूनों के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति डिफाल्ट जमानत के लिए पात्र है यदि अधिकारी सीआरपीसी, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने, या अंतिम आरोप पत्र दायर करने में असमर्थ हैं। मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह समयावधि या तो 60 या 90 दिन है। वैसे इस मामले में अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी अंततः खारिज कर दी।

अदालत ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। तब न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, जांच पूरी किए बिना, किसी गिरफ्तार आरोपी को डिफाल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी जा सकती है विपक्षी राजनीतिक नेताओं सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को प्रभावित करने के लिए, जिन्हें जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में हैं, बिना किसी मुकदमे के कई आरोपों और आरोप पत्रों का सामना कर रहे हैं।

अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। आरोपी प्रेम प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कथित सहयोगी है, जिसे पिछले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। श्री प्रकाश को पिछले साल जनवरी में झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने कहा कि उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए थे और इसे जमानत का स्पष्ट मामला कहा था। इस पर श्री राजू ने आरोपियों को रिहा किए जाने पर सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ की चिंता जताई, लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई।

अदालती फैसला सुरक्षित होने के बाद भी छापे गये बॉड

चुनावी बॉड पर सूचना के अधिकार से फिर हुआ खुलासा

तेजयुग न्यूज

नईदिल्लीः योजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रहने के बाद भाजपा सरकार ने 8,350 करोड़ रुपये के चुनावी बॉड छापे गये हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2023 में योजना की संवैधानिकता पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने अकेले 2024 में 1 करोड़ रुपये के 8,350 चुनावी बांड छापे। यह जानकारी पारदर्शिता कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा की सूचना के अधिकार के सवाल पर भारतीय स्टेट बैंक के जवाब में सामने आई थी। इस साल छापे गए 8,350 करोड़ रुपये के बांड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा योजना की शुरूआत से अब तक जुटाई गई रकम से अधिक हैं।

चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को 2018 से चुनावी बॉन्ड में 8,251.8 करोड़ रुपये मिले हैं। इस अवधि में बेचे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 16,518 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि भाजपा ने बेचे गए सभी बांडों का लगभग 50% भुना लिया। बत्रा द्वारा दायर एक पूर्व आरटीआई ने स्थापित किया था कि करदाता, न कि दानकर्ता या राजनीतिक दल, चुनावी बांड की छपाई और प्रबंधन का बिल उठा रहे हैं। आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चला है कि चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत बैंक एसबीआई ने 2018-2023 के बीच ₹चुनावी बांड योजना के प्रबंधन और संचालन के लिए कमीशन, मुद्रण और अन्य खर्चों₹ के लिए सरकार से 13.50 करोड़ रुपये का शुल्क लिया था।

एनआईटी मणिपुर के छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मिजोरम में विस्थापित कूकी-जो लोग मतदान नहीं कर सकेंगे

- सीएम के खिलाफ अपशब्द में एक गिरफ्तार
- वीडियो में बीरेन सिंह को हटाने की मांग

तेजयुग न्यूज

गुवाहाटी : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), मणिपुर से 38 विस्थापित अनुसूचित जनजाति इंजीनियरिंग छात्रों के स्थानांतरण के संबंध में कुकी छात्र संगठन द्वारा दायर एक जरूरी याचिका पर प्रतिक्रिया दी।

पिछले साल मणिपुर में हुई जातीय उथल-पुथल के बाद निहित याचिका में इन छात्रों को विभिन्न राज्यों में एनआईटी की वैकल्पिक शाखाओं में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की तात्कालिकता पर संज्ञान लिया। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, हम नोटिस जारी करेंगे, और इसे पहले की तारीख पर रखेंगे। याचिकाकताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के अनुसार, 38 प्रभावित छात्रों में से 17 वर्तमान में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि वे कितनी गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भले ही देश अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन जातीय हिंसा से विस्थापित होकर मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुर के हजारों कुकी-जो लोग आगामी लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मिजोरम के एक चुनाव अधिकारी ने कहा कि मिजोरम में शरण लेने वाले मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के लिए आगामी चुनावों में वोट डालने के लिए अब तक कोई मतदान व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित मणिपुरियों को आगामी लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन मिजोरम सहित मेजबान राज्यों से उन्हें वोट डालने की अनुमति देने का कोई लिखित आदेश नहीं है। मणिपुर में दो लोकसभा सीटों के लिए दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है।

बंबई हाईकोर्ट ने अठारह साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आजीवन कारावास की सजा

मुंबई : एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के ठोस सबूत का हवाला देते हुए और यह मानते हुए कि मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा एक अवैध दस्ते का नेतृत्व करते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें 18 साल पुराने रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में दोषी ठहराया। लखन भैया कथित छोटा राजन गिरोह का सदस्य था। शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। यह महाराष्ट्र में किसी मुठभेड़ मामले में किसी पुलिस अधिकारी की पहली सजा है। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष ने अपने दम पर और योग्यता के आधार पर यह भी साबित कर दिया है कि रामनारायण की हत्या ट्रिगर-खुश पुलिस द्वारा की गई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक फर्जी मुठभेड़ को असली का रंग दिया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय द्वारा 2013 में प्रदीप शर्मा को बरी करने के फैसले को विकृत करार देते हुए रद्द कर दिया। कानून के रखवालों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर इसकी अनुमति दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी। अदालत ने कहा कि सत्र अदालत शर्मा के खिलाफ भारी सबूत देखने में विफल रही, और बरी करने के फैसले को अस्थिर ठहराया। 11 नवंबर 2006 को, रामनारायण और उनके दोस्त अनिल भेड़ा को वाशी से अपहरण कर लिया गया था, पांच गोलियां मारी गई थीं और कथित मुठभेड़ वसोर्वा, अंधेरी (पश्चिम) के एक पार्क में हुई थी, एक विशेष जांच दल ने बताया कहा।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है

कई हफ्तों की गर्मी के बाद ठंड लौट आया

तेजयुग न्यूज

अटलांटाः कई हफ्तों तक वसंत जैसी गर्मी के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह कुछ देर के लिए सर्दी वापस आ जाएगी, जिससे देश के अधिकांश पूर्वी हिस्से में तापमान शून्य से नीचे रहने की संभावना है। मंगलवार को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सर्दियों के बाद उत्तरी गोलार्ध में खगोलीय वसंत की आधिकारिक शुरूआत हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति में मौसम मिश्रित हैं, क्योंकि इस सप्ताह की शुरूआत में वसंत सर्दी जैसा महसूस होगा।

अमेरिका की आधी से अधिक आबादी शून्य से नीचे या उसके नीचे तापमान का अनुभव करेगी। ठंड सिर्फ एक विसंगति नहीं है, यह दक्षिणपूर्व में कृषि हितों के लिए खतरा पैदा करेगी क्योंकि वहां बढ़ते मौसम चल रहा है। फसलों के खतरे के कारण फ्रीज चेतावनियां टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक फैली हुई हैं। पिछले सप्ताह औसत से अधिक तापमान का अनुभव करने वाले देश के पूर्वी हिस्से में कई लोगों के लिए सर्द मौसम एक झटका होगा। कई दक्षिणी शहरों में शनिवार को 70 के दशक में अधिकतम तापमान था लेकिन रविवार को मौसम बदल गया क्योंकि ठंड मध्यपश्चिम में बढ़ गई और दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ गई। सोमवार को देश के पूर्वी आधे हिस्से में ठंडी हवा फैल गई है और मंगलवार को अधिकांश क्षेत्र काफी ठंडा रहेगा। सेंट लुइस में शनिवार को अधिकतम 60 डिग्री से लेकर सोमवार को न्यूनतम 40 डिग्री तक 20 डिग्री से अधिक का उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।